UPMZ010082572026

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (KASHIF SHEIKH), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP02680

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–3492/2026

शंहशाह व साकिब पुत्रगण हसन, निवासीगण–ग्राम निराना, थाना–सिखेडा, जिला–मुजफ्फरनगर। ... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य ... विपक्षी

मु0अ0सं0–89/2026, अन्तर्गत धारा–136, 137 विद्युत अधिनियम, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर के मामले में आवेदकगण शंहशाह व साकिब की ओर से यह जमानत प्रथम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया गया कि अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। वे बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है तथा विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उनसे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से एक अन्य फर्जी मुकदमें अपराध सं0–138/2026 में बरामदगी दिखायी गयी है तथा उसमें उनकी जमानत स्वीकार हो चुकी है। उक्त घटना से पूर्व उनके विरूद्ध कोई मुकदमा नहीं है। वे पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

उक्त के विरोध में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विद्युत लाईन के तारों को चुराया गया है। अभियुक्तगण का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उनका जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

संक्षेप में अभियोजन कथन है कि दिनांक 01–04–2026 को वादी मुकदमा नीटू कुमार द्वारा थानाहाजा पर इस आशय की तहरीर दर्ज करायी गयी कि वह वीवीआईपी इन्फ्राटेक लिमिटेड में साईट इंजिनियर के पद पर कार्य करता है। कम्पनी के द्वारा आरडीएसएस योजना के अर्न्तगत विधुत उपकेन्द्र जौली से पोषित फिडर रूडकली टाउन मिक्स फिडर को अलग करके एक नयी विद्युत लाईन बनायी जा रही है। दिनांक 26–03–2026 को विद्युत उपकेन्द्र जौली के लाईनमैन द्वारा फोन पर बताया गया की

Digitally signed by KASHIF SHEIKH
Date: 2026.07.20 16:56:38 IST
Reason: Bail Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

कम्पनी के द्वारा ग्राम अलीपुरा, तिस्सा खोकनी के जंगल में जो लाईन का निर्माण किया गया था उसे दिनांक 25/26–03–2026 की रात्री में अज्ञात चोरों द्वारा 20 खम्बों/पोल की विद्युत लाईन के तार को चोरी कर लिया गया है। उक्त के आधार पर मुकदमा कायम कर व कार्यवाही अमल में लायी गयी।

न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) के तर्कों को सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों (केस डायरी)/पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोप है कि उनके द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विद्युत लाईन के तारों को चुराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित चोरी का कोई सामान अभियुक्त से बरामद नहीं हुआ है। अभियुक्तगण की संलिप्तता, एक अन्य मुकदमें में निरूद्ध जिला कारागार से तलब कर, दर्शायी गयी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत अपराध अन्तर्गत धारा–136, 137 विद्युत अधिनियम सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। सह–अभियुक्त बाबू की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्तगण दिनांक 31–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय मामले के गुणदोष पर अपनी राय जाहिर किये बगैर, अभियुक्तगण/आवेदकगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाती है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण शंहशाह व साकिब पुत्रगण हसन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को अंकन 50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार) रूपये की दो–दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र दाखिल करने पर इन शर्तों पर रिहा किया जाये कि–

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के बाद साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा–351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई सगिन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा–351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उनके विरूद्ध धारा–269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण वाद के विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

(काशिफ शेख)
ID: UP 2680
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 20–07–2026